कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
सीआईएनयू**35201** एमएच **1990** जीओआई **223738**

संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति

(10 फरवरी***, 2022*** को आयोजित ***169***वीं बैठक में स्वीकृत***)***

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय बेलापुर भवन, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614,
महाराष्ट्र www.konkanrailway.com
ईमेल:compsec@krcl.co.in

1. प्रस्तावना:

1.1. कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल या कंपनी) अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में उच्चतम नैतिक और कानूनी आचरण को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और यह मानता है कि संबंधित पार्टी लेनदेन, निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन आदि के हितों के वास्तविक या स्पष्ट संघर्ष केआरसीएल का हित जोखिम पेश कर सकते हैं।

1.2. केआरसीएल (निदेशक मंडल या बोर्ड) का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम की धारा 188 की आवश्यकताओं के अनुपालन में संबंधित पार्टी लेनदेन (आरपीटी) के संबंध में निम्नलिखित नीति और प्रक्रियाओं (नीति) को अपनाता है, जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है। 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम और उसके बाद के किसी भी संशोधन (अधिनियम) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सेबी लिस्टिंग विनियम), जैसा कि संशोधित है, और ऐसे अन्य नियामक प्रावधान, जो हो सकते हैं कंपनी और उसके किसी भी संबंधित पक्ष के बीच लेनदेन की समय पर पहचान, अनुमोदन, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए लागू हो (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है)।

2. उद्देश्य

2.1. इस नीति का उद्देश्य केआरसीएल और उसके किसी भी संबंधित पक्ष के बीच केआरसीएल और उसके हितधारकों के सर्वोत्तम हित में व्यवस्थित पहचान, अनुमोदन और/या लागू लेनदेन की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है। इस नीति के प्रावधानों को लागू कानूनों के संदर्भ में संबंधित पार्टी लेनदेन के संचालन में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पहचान और अनुमोदन प्रक्रिया के साथ-साथ प्रकटीकरण आवश्यकताओं में पारदर्शिता को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह नीति केआरसीएल की अन्य नीतियों का पूरक होगी जो संबंधित व्यक्तियों के साथ लेनदेन की पहचान, अनुमोदन और/या रिपोर्टिंग के लिए लागू हो सकती हैं।

2.2. केआरसीएल (लेखापरीक्षा समिति) की लेखा परीक्षा समिति, उपरोक्त प्रावधानों के तहत आवश्यकताओं के संदर्भ में इस नीति के आधार पर संबंधित पार्टी लेनदेन की समीक्षा, अनुमोदन और पुष्टि करेगी। निदेशक मंडल समय-समय पर इस नीति की समीक्षा और संशोधन करने की शक्ति सुरक्षित रखता है। संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति के लिए कोई भी अपवाद कंपनी अधिनियम 2013 के अनुरूप होगा, जिसमें उसके तहत प्रख्यापित नियम और सेबी लिस्टिंग विनियम शामिल हैं और निदेशक मंडल द्वारा तय किए गए तरीके से अनुमोदित किया जाएगा।

3. इस नीति द्वारा कवर किए गए लेनदेन

3.1. इस नीति द्वारा कवर किए गए लेन-देन में लेनदेन के संबंध में संबंधित पार्टी के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था शामिल है, संबंधित पार्टी लेनदेन के रूप में यहां परिभाषित किया गया है।

3.2. केआरसीएल द्वारा संबंधित पार्टी के साथ अपने सामान्य कारोबार में कोई लेनदेन किया गया हो और बांह की लंबाई के आधार पर, समय-समय पर लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया जाएगा।

4. परिभाषाएँ

4.1. "अधिनियम" का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम, जो समय-समय पर संशोधित किए गए हैं।

4.2. एसोसिएट कंपनी", किसी अन्य कंपनी के संबंध में, एक ऐसी कंपनी का मतलब है जिसमें केआरसीएल का महत्वपूर्ण प्रभाव है, लेकिन जो केआरसीएल की सहायक कंपनी नहीं है और इसमें केआरसीएल की संयुक्त उद्यम कंपनियां शामिल हैं, यदि कोई हो।

व्याख्या: महत्वपूर्ण प्रभाव का अर्थ है कुल शेयर पूंजी के कम से कम बीस प्रतिशत का नियंत्रण, या एक समझौते के तहत व्यावसायिक निर्णय। इसके अलावा, टोटल शेयर कैपिटल का मतलब पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल और कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से है।

4.3. "लेखापरीक्षा समिति" का अर्थ अधिनियम और सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के तहत गठित केआरसीएल के निदेशक मंडल की एक समिति है।

4.4. बोर्ड या निदेशक मंडल का मतलब केआरसीएल के निदेशक मंडल से है।

4.5. "नियंत्रण" में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल है जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं, जिसमें उनकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारकों के समझौते या मतदान समझौते या किसी अन्य तरीके से:

बशर्ते कि केआरसीएल के एक निदेशक या अधिकारी को ऐसी कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए केवल ऐसे पद पर रहने के आधार पर नहीं माना जाएगा।

4.6. "प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का अर्थ है"

(i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(ii) सभी कार्यात्मक निदेशक
(iii) मुख्य वित्तीय अधिकारी और
(iv) केआरसीएल के कंपनी सचिव

4.7.लिस्टिंग विनियमों का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

4.8. सामग्री संबंधी पार्टी लेनदेन का मतलब है कि संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन को महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाए या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ लिया जाए, सूचीबद्ध इकाई के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार के दस प्रतिशत से अधिक है।

उपरोक्त के बावजूद, ब्रांड के उपयोग या रॉयल्टी के संबंध में संबंधित पार्टी को किए गए भुगतान से जुड़े लेनदेन को भौतिक माना जाएगा यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाना है या एक वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ लिया गया है, अपने पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार के पांच प्रतिशत से अधिक है।

4.9. "व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम" में व्यवसाय के लिए आवश्यक, सामान्य और आकस्मिक गतिविधियों के लिए एक शब्द शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। ये वाणिज्यिक लेनदेन की सामान्य प्रथाएं और रीति-रिवाज हैं। कानून में, व्यवसाय का सामान्य पाठ्यक्रम एक निश्चित व्यवसाय के सामान्य लेनदेन, रीति-रिवाजों और प्रथाओं को शामिल करता है। व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम की अवधि निर्धारित करने के लिए सांकेतिक कारक:

ए) विशिष्ट व्यवसाय के लिए सामान्य या अन्यथा उल्लेखनीय है (अर्थात आपके सिस्टम में विशेषताएं, प्रक्रियाएं, विज्ञापन, स्टाफ प्रशिक्षण, आदि)
बी) लगातार और नियमित है
सी) महत्वपूर्ण मात्रा में धन शामिल है

डी) व्यवसाय के लिए आय का एक स्रोत है

इ) संसाधनों का महत्वपूर्ण आवंटन शामिल है

एफ) एक सेवा या उत्पाद में शामिल है जो ग्राहकों को पेश किया जाता है

4.10. "कार्यालय या लाभ के स्थान का अर्थ है कोई कार्यालय या स्थान-

(i) जहां ऐसा कार्यालय या स्थान किसी निदेशक के पास है, यदि उसे धारण करने वाला निदेशक केआरसीएल से पारिश्रमिक के रूप में पारिश्रमिक के रूप में कुछ भी प्राप्त करता है, जिसके लिए वह वेतन, शुल्क, कमीशन के रूप में निदेशक के रूप में हकदार है, अनुलाभ, कोई किराया-मुक्त आवास, या अन्यथा;

(ii) जहां ऐसा कार्यालय या स्थान निदेशक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी फर्म, निजी कंपनी या अन्य निकाय कॉर्पोरेट द्वारा आयोजित किया जाता है, यदि व्यक्ति, फर्म, निजी कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट, केआरसीएल से कुछ भी प्राप्त करता है पारिश्रमिक, वेतन, शुल्क, कमीशन, अनुलाभ, कोई किराया-मुक्त आवास, या अन्यथा।

4.11. "संबंधित पार्टी" संबंधित पार्टी का मतलब संबंधित पार्टी से है जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है:

ए) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76); या
बी) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 2(1) (जेडबी); या
सी) भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) 24 जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के तहत परिभाषित संबंधित पक्ष निम्नानुसार हैं: किसी कंपनी के संदर्भ में संबंधित पार्टी का अर्थ है-

(i) एक निदेशक या उसका रिश्तेदार;
(ii) एक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी या उसका रिश्तेदार;
(iii) एक फर्म, जिसमें एक निदेशक, प्रबंधक या उसका रिश्तेदार भागीदार है;
(iv) एक निजी कंपनी जिसमें एक निदेशक या प्रबंधक या उसका रिश्तेदार सदस्य या निदेशक है;
(v) एक सार्वजनिक कंपनी जिसमें एक निदेशक या प्रबंधक एक निदेशक है और अपने रिश्तेदारों के साथ अपनी चुकता शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक रखता है;
(vi) कोई कॉर्पोरेट निकाय जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक किसी निदेशक या प्रबंधक की सलाह, निर्देशों या निर्देशों के अनुसार कार्य करने का आदी है;

(i) कोई भी व्यक्ति जिसकी सलाह, निर्देश या निर्देश पर कोई निदेशक या प्रबंधक कार्य करने का आदी हो: बशर्ते कि उप-खंड (vi) और (vii) में कुछ भी पेशेवर क्षमता में दी गई सलाह, निर्देशों या निर्देशों पर लागू नहीं होगा;

(ii) कोई निगमित निकाय जो- ऐसी कंपनी की होल्डिंग, अनुषंगी या सहयोगी कंपनी; एक होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी जिसकी वह एक सहायक कंपनी भी है; या एक निवेश कंपनी या कंपनी के उद्यमकर्ता

(iii) नियमों के तहत निर्धारित स्वतंत्र निदेशक या होल्डिंग कंपनी या उसके रिश्तेदार के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के अलावा अन्य निदेशक

4.12. "रिश्तेदार केआरसीएल के निदेशक या केएमपी के संदर्भ में, का अर्थ है कोई भी जो दूसरे से संबंधित है, यदि -

(i) वे एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं;

(ii) वे पति और पत्नी हैं; या

(iii) एक व्यक्ति दूसरे से निम्नलिखित तरीके से संबंधित है, अर्थात्:

ए) सौतेले पिता सहित पिता

बी) सौतेली माँ सहित माँ

सी) सौतेला पुत्र सहित पुत्र

डी) बेटे की पत्नी

ई) बेटी

एफ) बेटी का पति

जी) सौतेले भाई सहित भाई

एच) सौतेली बहन सहित बहन

4.13. "संबंधित पार्टी लेनदेन" संबंधित पार्टी लेनदेन का मतलब लेनदेन / अनुबंध / व्यवस्था है जो इसके दायरे में आता है:

ए) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188; या

बी) सेबी के विनियमन 2(1) (जेडसी) (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015; या

सी) भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) 24 जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

5. संबंधित पार्टी का पता लगाने के लिए पूर्वापेक्षाएँ

5.1. निम्नलिखित विवरण की आवश्यकता होगी:

ए) एमबीपी-1 के रूप में सभी निदेशकों और केएमपी द्वारा ब्याज की घोषणा/प्रकटीकरण।
बी) सभी निदेशकों और केएमपी द्वारा रिश्तेदारों की घोषणा '।
सी) एक फर्म के बारे में घोषणा जिसमें एक निदेशक और केएमपी या उसका रिश्तेदार भागीदार है।
डी) एक निजी कंपनी के बारे में घोषणा जिसमें एक निदेशक और केएमपी या उसका रिश्तेदार सदस्य या निदेशक है।
ई) एक सार्वजनिक कंपनी के बारे में घोषणा जिसमें एक निदेशक और केएमपी एक निदेशक है और रिश्तेदारों के साथ चुकता शेयर पूंजी का 2% से अधिक रखता है।
) कोई भी कंपनी जो-
(i) केआरसीएल की सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी; या
(ii) केआरसीएल की एक सहायक कंपनी की सहायक कंपनी।

6. संभावित संबंधित पार्टी लेनदेन की पहचान

6.1. संबंधित निदेशकों/केएमपी/कार्यकारी निदेशकों/कार्यात्मक/विभागीय प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी संभावित संबंधित पार्टी लेनदेन की उनकी सूचना लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड को अग्रिम रूप से दी गई है, ताकि बोर्ड और लेखा परीक्षा समिति दोनों के पास जानकारी प्राप्त करने और प्रस्तावित लेनदेन के बारे में समीक्षा करने का समय हो।

उपरोक्त संबंधित व्यक्ति प्रत्येक तिमाही के अंत में संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन के बारे में वित्त विभाग और कंपनी सचिव को जल्द से जल्द सूचित करेंगे।

इसके अलावा प्रत्येक तिमाही के दौरान किए गए सभी लेनदेन को तिमाही और वार्षिक खातों के साथ लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड के सामने रखा जाएगा।

6.2. केआरसीएल का प्रत्येक निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक जो किसी भी तरह से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अनुबंध या व्यवस्था या प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था में रुचि रखता है या दर्ज किया जाता है, अपनी चिंता या रुचि की प्रकृति का खुलासा करेगा। बोर्ड की बैठक जिसमें अनुबंध या व्यवस्था पर चर्चा की जाती है और ऐसी किसी भी बैठक में भाग नहीं लेगा या उस पर प्रभाव नहीं डालेगा।

6.3. जहां कोई निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, जो इस तरह के अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करने के समय इतना चिंतित या रुचि नहीं रखता है, यदि वह अनुबंध या व्यवस्था के बाद चिंतित या इच्छुक हो जाता है, तो वह अपनी चिंता या रुचि का खुलासा करेगा जब वह चिंतित या इच्छुक हो जाता है या बोर्ड की पहली बैठक में जब वह इतना चिंतित या रुचि रखता है।

6.4. केआरसीएल द्वारा प्रकटीकरण के बिना या एक निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की भागीदारी के साथ किया गया अनुबंध या व्यवस्था, जो अनुबंध या व्यवस्था में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से संबंधित या रुचि रखता है, केआरसीएल के विकल्प पर शून्य हो जाएगा।

6.5. कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक जो पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी समय संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, जैसा भी मामला हो, नियुक्ति के लिए अयोग्य होगा।

7. संबंधित पार्टी लेनदेन की समीक्षा और अनुमोदन

7.1 लेखा परीक्षा समिति का अनुमोदन

सभी संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए लेखा परीक्षा समिति के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी। हालांकि, कंपनियों के नियम 6 ए (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) द्वितीय संशोधन नियम, 2015 और लिस्टिंग विनियमों के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए सर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान कर सकती है:

ए) लेखापरीक्षा समिति इस नीति के अनुरूप सर्वव्यापक अनुमोदन प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित करेगी और ऐसा अनुमोदन उन लेनदेनों के संबंध में लागू होगा जो प्रकृति में बारंबार/नियमित/दोहराए जाने वाले हैं और कंपनी के व्यवसाय के सामान्य क्रम में हैं।

बी) लेखा परीक्षा समिति उन लेन-देनों के लिए सर्वव्यापक अनुमोदन प्रदान करेगी जो व्यापार के सामान्य क्रम में हैं और लेन-देन जो हाथ की लंबाई के आधार पर हैं।

सी) लेखापरीक्षा समिति ऐसे सभी लेन-देनों के लिए सर्वव्यापक अनुमोदन प्रदान करेगी जो लेखापरीक्षा समिति उचित समझे।

डी) लेखा परीक्षा समिति कंपनी के सर्वोत्तम हित में इस तरह के सर्वव्यापक अनुमोदन की आवश्यकता को स्वयं संतुष्ट करेगी।

7.2. लेखा परीक्षा समिति द्वारा सर्वग्राही अनुमोदन

7.2.1. लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित शर्तों के अधीन केआरसीएल द्वारा प्रस्तावित संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए सर्वव्यापक अनुमोदन प्रदान कर सकती है:

ए) लेखा परीक्षा समिति, बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने पर, सर्वग्राही प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित करेगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) लेन-देन का अधिकतम मूल्य, कुल मिलाकर, जिसे एक वर्ष में सर्वग्राही अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमति दी जा सकती है;
(ii) प्रति लेनदेन अधिकतम मूल्य जिसकी अनुमति दी जा सकती है;
(iii) लेखापरीक्षा को किए जाने वाले प्रकटीकरण की सीमा और तरीके सर्वग्राही अनुमोदन प्राप्त करने के समय समिति;
(iv) समीक्षा, ऐसे अंतराल पर, जैसा कि लेखा परीक्षा समिति उपयुक्त समझ सकती है, कंपनी द्वारा किए गए प्रत्येक सर्वव्यापी अनुमोदन के अनुसार संबंधित पार्टी लेनदेन; तथा
(v) लेनदेन जो लेखा परीक्षा समिति द्वारा सर्वव्यापक अनुमोदन के अधीन नहीं हो सकते हैं।

बी) लेखा परीक्षा समिति इस तरह के सर्वव्यापक अनुमोदन की आवश्यकता को पूरा करेगी और यह अनुमोदन केआरसीएल के हित में है और सर्वव्यापी अनुमोदन करने के लिए मानदंड निर्दिष्ट करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगी:
(i) लेनदेन की दोहराव (अतीत में या भविष्य में); तथा
(ii) सर्वव्यापी अनुमोदन की आवश्यकता का औचित्य

सी) ऐसी सर्वव्यापक स्वीकृति निर्दिष्ट करेगी:

(i) संबंधित पक्ष का नाम, लेन-देन की प्रकृति, लेन-देन की अवधि, लेन-देन की अधिकतम राशि जो दर्ज की जा सकती है;
(ii) सांकेतिक आधार मूल्य / वर्तमान अनुबंधित मूल्य और मूल्य में परिवर्तन के लिए सूत्र, यदि कोई हो; तथा
(iii) ऐसी अन्य शर्तें जो लेखा परीक्षा समिति ठीक समझे।

7.2.2. बशर्ते कि जहां संबंधित पार्टी लेनदेन की आवश्यकता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और पूर्वोक्त विवरण उपलब्ध नहीं हैं, लेखापरीक्षा समिति ऐसे लेनदेन के लिए सर्वव्यापक अनुमोदन प्रदान कर सकती है, बशर्ते कि उनका मूल्य प्रति लेनदेन ₹1.0 करोड़ से अधिक न हो।

7.2.3. लेखापरीक्षा समिति कम से कम तिमाही आधार पर केआरसीएल द्वारा दिए गए प्रत्येक सर्वग्राही अनुमोदन के अनुसार आरपीटी के विवरण की समीक्षा करेगी।

7.2.4 कंपनी के उपक्रम की बिक्री या निपटान के संबंध में लेनदेन के लिए सर्वग्राही अनुमोदन नहीं किया जाएगा।

7.2.5. इस तरह के सर्वव्यापी अनुमोदन एक वित्तीय वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वैध होंगे और ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नए अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

7.2.6. सभी सामग्री संबंधी पार्टी लेनदेन के लिए आम बैठक में संकल्प के माध्यम से पूर्व शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

7.2.7. केआरसीएल का कोई शेयरधारक, यदि ऐसा शेयरधारक केवल उस अनुबंध या व्यवस्था के संदर्भ में संबंधित पार्टी है जिसके लिए उक्त प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

7.3. कंपनी के निदेशक मंडल का अनुमोदन अधिनियम की धारा 188(1) के अनुसार लागू नियमों के साथ पठित बोर्ड की बैठक में एक प्रस्ताव द्वारा दिए गए निदेशक मंडल की सहमति के अलावा और ऐसी शर्तों के अधीन जो निर्धारित की जा सकती हैं , कोई भी कंपनी संबंधित पार्टी के साथ निम्नलिखित के संबंध में कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं करेगी:

(ए) किसी भी सामान या सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति;
(बी) किसी भी प्रकार की संपत्ति को बेचना या अन्यथा निपटाना, या खरीदना;
(सी) किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना;
(डी) किसी भी सेवा का लाभ उठाना या प्रदान करना;
(ई) माल, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति;
(एफ) ऐसे संबंधित पक्ष की कंपनी, उसकी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी में किसी कार्यालय या लाभ के स्थान पर नियुक्ति: और

(जी) कंपनी की किसी भी प्रतिभूति या उसके डेरिवेटिव की सदस्यता को हामीदारी करना; बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी कंपनी द्वारा अपने सामान्य कारोबार में किए गए किसी भी लेनदेन पर लागू नहीं होगा जो लेनदेन के अलावा अन्य लेन-देन के आधार पर नहीं है।

7.4. कंपनी के शेयरधारकों की स्वीकृति निम्नलिखित लेनदेन के लिए कंपनी के शेयरधारकों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जैसा कि कंपनी अधिनियम की धारा 188 (1) के तहत निर्धारित है, कंपनी के नियम 15 (3) के साथ पठित (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014:

क्रमांक संख्या	निर्दिष्ट आरपीटी (एस) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के तहत	शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए सीमा, कंपनी के टर्नओवर का 10% या उससे अधिक।
ए)	किसी भी सामान या सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति, सीधे या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से	जो कंपनी की कुल संपत्ति का 10% या उससे अधिक हो। लेन-देन या लेनदेन के लिए या तो व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या एक वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ लिया जाता है।
बी)	सीधे या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से किसी भी प्रकार की संपत्ति को बेचना या अन्यथा निपटाना या खरीदना	जो कंपनी की कुल संपत्ति का 10% या उससे अधिक हो। लेन-देन या लेनदेन के लिए या तो व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या एक वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ लिया जाता है।
सी)	किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना	जो कंपनी की कुल संपत्ति का 10% या उससे अधिक हो। लेन-देन या लेनदेन के लिए या तो व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या एक वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ लिया जाता है।
डी)	सीधे या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से किसी भी सेवा का लाभ उठाना या प्रदान करना	जो कंपनी की कुल संपत्ति का 10% या उससे अधिक हो। लेन-देन या लेनदेन के लिए या तो व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या एक वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ लिया जाता है।
इ)	कंपनी, उसकी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी में किसी भी कार्यालय या लाभ के स्थान पर ऐसी संबंधित पार्टी की नियुक्ति	जहां मासिक पारिश्रमिक ₹ 2,50,000 से अधिक हो।
एफ)	कंपनी की किसी भी प्रतिभूति या उसके डेरिवेटिव की सदस्यता को हामीदारी करने के लिए पारिश्रमिक	कंपनी के निवल मूल्य के 1% से अधिक
	ऊपर उल्लिखित कारोबार और निवल मूल्य की गणना पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार की जाएगी।	

बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी कंपनी द्वारा अपने सामान्य कारोबार में किए गए किसी भी लेनदेन पर लागू नहीं होगा जो लेनदेन के अलावा अन्य लेन-देन के आधार पर नहीं है।
शेयरधारकों के अनुमोदन से छूट:

ए) दो सरकारी कंपनियों के बीच लेनदेन के संबंध में;
बी) एक होल्डिंग और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच किए गए लेन-देन जिनके खातों को ऐसी होल्डिंग के साथ समेकित किया जाता है और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के सामने रखा जाता है।

7.5. लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी सामग्री संबंधी पार्टी लेनदेन के लिए संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी और कोई भी संबंधित पक्ष ऐसे प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेगा चाहे वह इकाई विशेष लेनदेन से संबंधित पार्टी हो या नहीं।

<u>छूट:</u>

लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(5) के अनुसार, संबंधित पार्टी लेनदेन के प्रावधानों को निम्नलिखित के लिए छूट दी गई है:

ए) दो सरकारी कंपनियों के बीच लेन-देन किया गया;
बी) एक होल्डिंग और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच लेन-देन किया गया, जिसके खाते ऐसी होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित हैं और शेयरधारकों के सामने अनुमोदन के लिए आम बैठक में रखे गए हैं।
सी) सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच लेनदेन, जिनके खाते ऐसी होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित होते हैं और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के सामने रखे जाते हैं।

8. समीक्षा के लिए मानक

8.1. अंकेक्षण समिति अनुमोदन करते समय और बोर्ड संबंधित पक्ष के लेन-देन का अनुमोदन/अनुमोदन करते समय लेन-देन में संबंधित पक्ष के हितों के पूर्ण प्रकटीकरण के बाद इस नीति में निर्धारित मानकों के अनुसार निम्नलिखित की समीक्षा और विचार करेगा:

(ए) संबंधित पार्टी लेनदेन में संबंधित पार्टी के हित;
(बी) संबंधित पार्टी लेनदेन में शामिल अनुमानित राशि;
(सी) क्या संबंधित पार्टी लेनदेन केआरसीएल के कारोबार के सामान्य क्रम में किया गया था;

(डी) क्या संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन का प्रस्ताव है, या हथियारों की लंबाई के आधार पर दर्ज किया गया था;
(ई) संबंधित पार्टी लेनदेन से केआरसीएल का उद्देश्य और संभावित लाभ;
(एफ) क्या केआरसीएल के लिए संबंधित पार्टी लेनदेन में प्रवेश करने के लिए कोई अनिवार्य व्यावसायिक कारण हैं और वैकल्पिक लेनदेन की प्रकृति, यदि कोई हो;
(जी) क्या संबंधित पार्टी लेनदेन में कोई संभावित प्रतिष्ठा जोखिम मुद्दे शामिल हैं जो संबंधित पार्टी लेनदेन के परिणामस्वरूप या उसके संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं;
(एच) क्या संबंधित पार्टी के लेन-देन से किसी अन्य स्वतंत्र निदेशक या नामित निदेशक की स्वतंत्रता प्रभावित होगी;
(आई) क्या केआरसीएल को इसके शुरू होने से पहले संबंधित पार्टी लेनदेन के बारे में सूचित किया गया था और यदि नहीं, तो पूर्व-अनुमोदन क्यों नहीं मांगा गया था और क्या बाद में अनुसमर्थन केआरसीएल के लिए हानिकारक होगा;
(जे) क्या संबंधित पार्टी लेनदेन किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के लिए, कानून के प्रावधानों के अनुसार, लेन-देन के आकार, संबंधित पार्टी की समग्र वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हितों का अनुचित टकराव पेश करेगा, प्रत्यक्ष या लेन-देन में संबंधित पार्टी के हित की अप्रत्यक्ष प्रकृति और किसी भी प्रस्तावित संबंध की चल रही प्रकृति और किसी भी अन्य कारक जिसे लेखा परीक्षा समिति / बोर्ड प्रासंगिक और उपयुक्त मानता है;
(के) आवश्यक वैधानिक और सार्वजनिक प्रकटीकरण, यदि कोई हो; तथा (एल) प्रस्तावित लेनदेन के संदर्भ में संबंधित पार्टी लेनदेन या संबंधित पार्टी के संबंध में कोई अन्य जानकारी जो विशेष लेनदेन की परिस्थितियों के आलोक में ऑडिट समिति/बोर्ड/शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण होगी।

8.2. बोर्ड की बैठक का एजेंडा जिस पर प्रस्ताव पर विचार किया जाना प्रस्तावित है, प्रकट करेगा:
ए) संबंधित पार्टी का नाम और रिश्ते की प्रकृति;
बी) अनुबंध की प्रकृति, अवधि और अनुबंध या व्यवस्था का विवरण;
सी) मूल्य सहित अनुबंध या व्यवस्था की भौतिक शर्तें, यदि कोई हो;
डी) अनुबंध या व्यवस्था के लिए भुगतान या प्राप्त कोई अग्रिम, यदि कोई हो;
ई) मूल्य निर्धारण और अन्य वाणिज्यिक शर्तों को निर्धारित करने का तरीका, दोनों को अनुबंध के हिस्से के रूप में शामिल किया गया और अनुबंध के हिस्से के रूप में नहीं माना गया;
एफ) क्या अनुबंध से संबंधित सभी कारकों पर विचार किया गया है, यदि नहीं, तो उन कारकों पर विचार न करने के औचित्य के साथ उन कारकों का विवरण जिन पर विचार नहीं किया गया है; तथा
जी) बोर्ड के लिए प्रासंगिक या महत्वपूर्ण कोई अन्य जानकारी प्रस्तावित लेनदेन पर निर्णय।

8.3. जहां कोई निदेशक किसी संबंधित पार्टी के साथ किसी अनुबंध या व्यवस्था में रुचि रखता है, ऐसे निदेशक बैठक में उपस्थित नहीं होंगे इस तरह के अनुबंध या व्यवस्था से संबंधित संकल्प के विषय पर चर्चा।

8.4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 के अनुसार बुलाई गई सामान्य बैठक की सूचना के साथ संलग्न किए जाने वाले व्याख्यात्मक विवरण में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:

ए) संबंधित पार्टी का नाम;
बी) निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का नाम जो संबंधित है, यदि कोई हो;
सी) संबंध की प्रकृति;
डी) प्रकृति, भौतिक शर्तें, मौद्रिक मूल्य और अनुबंध या व्यवस्था के विवरण;
ई) प्रस्तावित प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए सदस्यों के लिए प्रासंगिक या महत्वपूर्ण कोई अन्य जानकारी।

9. संबंधित पार्टी लेनदेन का अनुसमर्थन

9.1. संबंधित पक्ष के साथ किए गए प्रत्येक अनुबंध या व्यवस्था को इस तरह के अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करने के औचित्य के साथ शेयरधारकों को बोर्ड की रिपोर्ट में संदर्भित किया जाएगा।

9.2. यदि समय की कमी और अन्य प्रशासनिक असुविधा के कारण संबंधित पार्टी लेनदेन में प्रवेश करने के लिए लेखा परीक्षा समिति / बोर्ड / शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति संभव नहीं है, तो ऐसे संबंधित पार्टी लेनदेन की सिफारिश बोर्ड को अनुसमर्थन के लिए लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाएगी / शेयरधारक, यदि आवश्यक हो, संबंधित पार्टी लेनदेन में प्रवेश करने के 3 महीने के भीतर।

9.3. किसी भी मामले में या तो लेखा परीक्षा समिति / बोर्ड / शेयरधारक एक संबंधित पार्टी लेनदेन की पुष्टि नहीं करने का निर्धारण करते हैं जो पूर्व अनुमोदन के बिना शुरू किया गया है, लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड या शेयरधारक, जैसा उपयुक्त हो, अतिरिक्त कार्रवाई का निर्देश दे सकते हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं है, अनुसमर्थन के लिए स्वीकार्य बनाने के लिए लेनदेन को तत्काल बंद करना, या लेनदेन में संशोधन करना। यदि अनुबंध या व्यवस्था किसी निदेशक से संबंधित पार्टी के पास है, या किसी अन्य निदेशक द्वारा अधिकृत है, तो संबंधित निदेशक केआरसीएल को उसके द्वारा किए गए किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करेंगे।

9.4 घटना में लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड के किसी भी सदस्य, जैसा भी मामला हो, किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन में संभावित रुचि रखता है, ऐसा सदस्य इस तरह के अनुबंध या व्यवस्था से संबंधित संकल्प के विषय पर चर्चा के दौरान बैठक में उपस्थित नहीं रहेगा।

9.5 इसके अलावा, सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2021/662 दिनांक 22/11/2021 और सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/डीडीएचएस/डीडीएचएस_डीआईवि1/ पी/सीआईआर/ 2022 के अनुसार/000000006 दिनांक 07/01/2022, लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारक संबंधित पार्टी लेनदेन के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित जानकारी पर विचार करेंगे:

9.6. आरपीटी के अनुमोदन के लिए लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाने वाली सूचना। सूचीबद्ध इकाई प्रस्तावित आरपीटी के अनुमोदन के लिए लेखा परीक्षा समिति की समीक्षा के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करेगी:

(i) प्रस्तावित लेनदेन का प्रकार, भौतिक शर्तें और विवरण;

ए) संबंधित पार्टी का नाम और सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी के साथ उसका संबंध, जिसमें उसकी चिंता या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा) शामिल है;

बी) प्रस्तावित लेनदेन का कार्यकाल (विशेष कार्यकाल निर्दिष्ट किया जाएगा);

सी) प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य;

डी) तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, जो प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है (और एक सहायक कंपनी को शामिल करने वाले आरपीटी के लिए, इस तरह के प्रतिशत की गणना सहायक कंपनी के वार्षिक कारोबार के आधार पर की जाती है) एक स्टैंडअलोन आधार अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जाएगा);

ई) यदि लेनदेन किसी भी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित है या सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी द्वारा दिया गया है:

एफ) प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में निधियों के स्रोत का विवरण;

ii) जहां ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश करने या देने के लिए कोई वित्तीय ऋणग्रस्तता होती है, • ऋणग्रस्तता की प्रकृति; • कोष की लागत; तथा • कार्यकाल;

iii) अनुबंध, कार्यकाल, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची सहित लागू शर्तें, चाहे सुरक्षित हों या असुरक्षित; यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति; तथा

iv) जिस उद्देश्य के लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।

जी) इस बात का औचित्य कि आरपीटी सूचीबद्ध इकाई के हित में क्यों है;

एच) मूल्यांकन या अन्य बाहरी पार्टी रिपोर्ट की एक प्रति, यदि ऐसी किसी रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है;

आई) प्रतिपक्ष के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत जो स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है;

जे) कोई अन्य जानकारी जो प्रासंगिक हो सकती है।

9.7. लेखा परीक्षा समिति वार्षिक आधार पर दीर्घकालिक (एक वर्ष से अधिक) या आवर्ती आरपीटी की स्थिति की भी समीक्षा करेगी।

9.8. आरपीटी पर विचार करने के लिए शेयरधारकों को दी जाने वाली सूचना किसी भी प्रस्तावित आरपीटी के लिए अनुमोदन की मांग करने वाले शेयरधारकों को नोटिस भेजा जा रहा है, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यकताओं के अतिरिक्त, व्याख्यात्मक विवरण के एक भाग के रूप में निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी:

ए) प्रबंधन द्वारा लेखा परीक्षा समिति को प्रदान की गई जानकारी का सारांश जैसा कि ऊपर पैरा 9.6 में निर्दिष्ट है;
बी) इस बात का औचित्य कि प्रस्तावित लेनदेन सूचीबद्ध इकाई के हित में क्यों है;
सी) जहां लेनदेन किसी भी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश या सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी द्वारा दिए गए निवेश से संबंधित है, ऊपर पैरा 9.6 के बिंदु (एफ) के तहत निर्दिष्ट विवरण; (निधि के स्रोत और निधि की लागत का खुलासा करने की आवश्यकता सूचीबद्ध बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू नहीं होगी।)
डी) एक बयान कि प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा मूल्यांकन या अन्य बाहरी रिपोर्ट, यदि कोई हो, शेयरधारकों के पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा;
ई) प्रतिपक्ष के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत जो स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है;
एफ) कोई अन्य जानकारी जो प्रासंगिक हो सकती है।

10. खुलासे

ए) अधिनियम की धारा 188 के अनुसार बोर्ड/शेयरधारकों के अनुमोदन से संबंधित पक्षों के साथ किए गए प्रत्येक अनुबंध या व्यवस्था को ऐसे अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करने के औचित्य के साथ शेयरधारकों को बोर्ड की रिपोर्ट में संदर्भित किया जाएगा।

बी) स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किए जाने वाले कॉरपोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट के साथ सभी सामग्री संबंधी पार्टी लेनदेन का विवरण तिमाही में खुलासा किया जाएगा।

सी) कंपनी छमाही के लिए अपने स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों के साथ, संबंधित पार्टी लेनदेन के प्रकटीकरण को वार्षिक परिणामों के लिए प्रासंगिक लेखा मानकों में निर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत करेगी (सेबी द्वारा अपने परिपत्र संख्या सेबी / एचओ द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार) /CFD/CMD1/CIR/P/2021/662 दिनांक 22/11/2021) को स्टॉक एक्सचेंजों को भेजें और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करें।

डी) कंपनी अपनी वेबसाइट पर संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने की नीति का खुलासा करेगी और वार्षिक रिपोर्ट में एक वेब लिंक प्रदान किया जाएगा।

ई) सभी संबंधित पार्टियों के नाम और संबंधों की प्रकृति और सभी संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण भारतीय लेखा मानक के अनुसार वित्तीय विवरण में प्रकट किए जाने चाहिए (आई एन डी एएस) 24.

एफ) कंपनी बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता वाले किसी भी संबंधित पक्ष के साथ सभी अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण देते हुए एक या अधिक रजिस्टर अलग से रखेगी।

11. संशोधन

निदेशक मंडल प्रत्येक 3 वर्षों में कम से कम एक बार समीक्षा करेगा और इस नीति में किसी भी समय, पूर्ण या आंशिक रूप से, समय-समय पर अधिनियम या किसी क़ानून की आवश्यकता के अनुसार संशोधन कर सकता है।

हालांकि, लिस्टिंग विनियमों या किसी वैधानिक अधिनियम के अनुपालन में आवश्यक नीति में किसी भी संशोधन, कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को इस तरह के संशोधन को मंजूरी देने का अधिकार है।

लिस्टिंग विनियमों और कंपनी अधिनियम, *2013* के तहत अनुमोदन और विचार/सिफारिश तंत्र का सारांश

लेन-देन का विवरण स्वीकृत करना अधिकार	**लेन-देन का विवरण स्वीकृत करना अधिकार**
सभी संबंधित पार्टी लेनदेन और बाद में कोई भी संशोधन	लेखा परीक्षा समिति
आरपीटी जो व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं हैं या हाथ की लंबाई के आधार पर नहीं हैं या दोनों (सीमा से नीचे)	लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन के लिए बोर्ड को अनुशंसा। बोर्ड द्वारा अनुमोदन
सामग्री आरपीटी और आरपीटी जो व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं हैं या हाथ की लंबाई के आधार पर नहीं हैं या दोनों (सीमा से ऊपर)	लेखापरीक्षा समिति द्वारा बोर्ड को अनुमोदन हेतु अनुशंसा। शेयरधारकों के लिए बोर्ड द्वारा सिफारिश। शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन

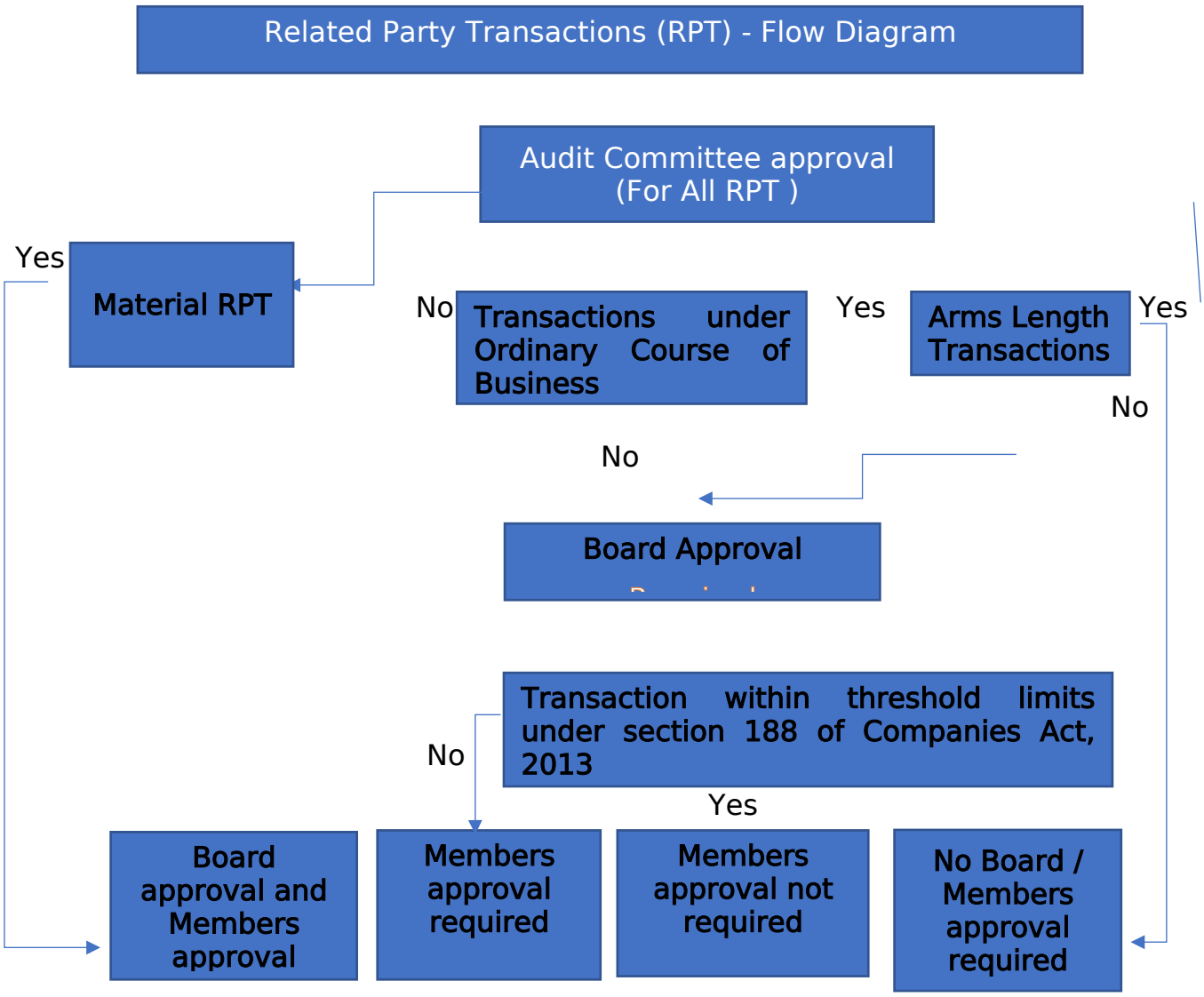

नोट: किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ग्राह्य माना जायेगा